राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12557/2018

कीर्ति कछवाह पत्नी डॉ.के.एल. पंवार, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी सी/ई-62, उच्च न्यायालय कॉलोनी, जोधपुर (राज.) ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर

2. राजस्थान राज्य द्वारा, सचिव, वित्त विभाग (राजस्व), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर

3. आबिद खान पुत्र श्री मोहम्मद. अजीज खान, वित्तीय सलाहकार, उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम, उदयपुर

4. भारती राज पत्नी श्री मुकुल राज , आर्थिक सलाहकार, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग,कार्यालय संभागीय आयुक्त और आयुक्त, टाडा, सहेली मार्ग, उदयपुर।

------उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए:	श्री बल्जिंदर सिंह संधू, अधिवक्ता
	श्री ऋषभ पुरोहित, अधिवक्ता
	श्री लोकेश मेनानी, अधिवक्ता
उत्तरदाता(गण) के लिए :	श्री पंकज शर्मा, एएजी,
	श्री धीरेन्द्र सिंह सोढ़ा, अधिवक्ता
	श्री ऋषि सोनी, अधिवक्ता

माननीय न्यायाधीश श्री अशोक कुमार गौड़

आदेश

<u>रिपोर्टेबल</u>

दिनांकः 16/11/2022

याचिकाकर्ता द्वारा 01.08.2018 से उसे उच्च सुपर टाइम वेतनमान पद प्रदान करने का निर्देश देने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता दिनांक 01.08.2018 के आदेश से भी व्यथित महसूस करती है, क्योंकि उसने रिक्ति वर्ष 2018-2019 के लिए आयोजित

विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल का लाभ नहीं दिया है।

तथ्य, जैसा कि संक्षेप में कहा गया है, यह है कि याचिकाकर्ता विभिन्न राज्य और अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुई थी।याचिकाकर्ता ने भाग लिया और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की जिसका परिणाम 23.02.1992 पर घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता 08.04.1992 पर साक्षात्कार में उपस्थित हुई और इस तरह साक्षात्कार के समय याचिकाकर्ता द्वारा किसी विशेष सेवा के लिए दी गई वरीयता को स्वीकार नहीं करके विवाद उठाया गया था।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उसके साक्षात्कार के बाद, उसे सामान्य योग्यता में सीरियल संख्या 34 पर रखा गया था और जो व्यक्ति योग्यता में कम थे, उन्हें कॉल लेटर दिया गया था और याचिकाकर्ता को उसी अधिकार से वंचित कर दिया गया था और इस तरह याचिकाकर्ता ने एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6421/1992 दायर की थी और इसे इस अदालत की समन्वय पीठ द्वारा दिनांकित 23.05.1997 आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

इस न्यायालय ने याचिका पर निर्णय लेते हुए निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता की योग्यता उस उम्मीदवार से ऊपर है, जिसे नियुक्ति

की पेशकश की गई है, तो याचिकाकर्ता पर भी ऐसी सेवा के लिए विचार किया जाना चाहिए।

एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को राजस्थान राज्य और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चुनौती दी गई थी, हालांकि, खण्ड पीठ ने 07.12.2001 पर निर्णय पारित किया और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि जब फैसले का अनुपालन नहीं किया गया, तो उसे अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी और बाद में उत्तरदाताओं ने दिनांक 13.03.2002 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत दिनांक 06.11.1992 के आदेश के तहत समान स्थिति वाले व्यक्तियों के संबंध में जारी आदेश में संशोधन किया गया और याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 8 यानी ब्रिजेश कुमार शर्मा और क्रम संख्या 9 यानी श्री आबिद खान के बीच जोड़ा गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता उपरोक्त दो व्यक्तियों के बीच निर्धारित की गई थी और आगे एक छाया/अतिरिक्त पद बनाया गया था। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को काल्पनिक आधार पर लाभ देने का फैसला किया और वास्तविक लाभ शामिल होने की वास्तविक तारीख से दिए जाने थे।याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिनांक 13.03.2002 के आदेश के जारी होने के

बाद दिनांक 20.12.2002 का एक आदेश जारी किया गया और याचिकाकर्ता को राजस्थान लेखा सेवा के सामान्य वेतनमान में 07.12.1992 से निर्धारित किया गया था और उसका वेतन 07.12.1992 से 01.09.2002 तक के प्रभाव के साथ काल्पनिक आधार पर निर्धारित किया गया था और उसे Rs.9925/- के वेतन पर निर्धारित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 23.06.2004 के एक आदेश द्वारा वर्ष 1998-1999 की रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता को वरिष्ठ पैमाने का लाभ प्रदान किया और उन्हें श्री बृजेश कुमार शर्मा के ठीक एक नीचे और श्री आबिद खान के ऊपर अपना स्थान सौंपा गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उत्तरदाताओं ने दिनांक 29.05.2013 को एक आदेश जारी करके याचिकाकर्ता को वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन वेतनमान प्रदान किया और उसका नाम दिनांक 17.11.2004 के आदेश में क्रम संख्या 2 पर उल्लेख किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता पर विचार करते हुए प्रतिवादी ने दिनांक 29.05.2013 के आदेश द्वारा वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता को

सुपर टाइम स्केल भी प्रदान किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उन्हें श्री बृजेश कुमार शर्मा और श्री आबिद खान से ऊपर उचित वरिष्ठता दी गई थी, जैसा कि दिनांकित 29.05.2013 के आदेश से पता चलता है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उत्तरदाताओं ने दिनांक 01.08.2018 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत उन्होंने उच्च सुपर टाइम स्केल देने के लिए पात्र व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया और आश्चर्यजनक रूप से याचिकाकर्ता के ऊपर के व्यक्ति यानी ब्रिजेश कुमार शर्मा और याचिकाकर्ता के नीचे के व्यक्ति आबिद खान पर विचार किया गया और क्रमशः 01.09.2018 और 01.12.2018 से उच्च सुपर टाइम स्केल प्रदान किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता का नाम को जगह नहीं मिली।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उत्तरदाताओं ने उच्च सुपर टाइम स्केल देने की कवायद करते समय, विचार क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों पर विचार के संबंध में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 21 पर रखा था। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यद्यपि उसका नाम पात्र उम्मीदवारों के बीच क्रम संख्या 21 पर दर्शाया गया था, हालांकि, उत्तरदाताओं ने 13.03.2002 से याचिकाकर्ता के शामिल होने की तारीख पर विचार करके याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल नहीं देने का

विवादित निर्णय लिया और इस तरह उत्तरदाताओं ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने उच्च सुपर टाइम स्केल देने के उद्देश्य से 25 साल की आवश्यक सेवा पूरी नहीं की है, इसलिए उसे यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा पारित विवादित आदेश एक मनमाना आदेश है और इसे बिना सोचे समझे पारित किया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने वरिष्ठ स्केल, चयन स्केल और सुपर टाइम स्केल के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते हुए, हमेशा याचिकाकर्ता के शामिल होने की अवधि को 06.11.1992 के रूप में माना है, जबकि उच्च सुपर टाइम स्केल के अनुदान के उद्देश्य से उसके मामले पर विचार करते हुए, प्रतिवादी ने मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता के शामिल होने की तारीख को 13.03.2002 के रूप में उठाया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को वर्ष 1998-99 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करते समय, 1992 से प्रभावी याचिकाकर्ता की सेवाओं को ध्यान में रखा था, क्योंकि वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता 5 वर्ष है और यदि याचिकाकर्ता की दिनांक 13.03.2002

को शामिल होने की तारीख आधार होती, तो याचिकाकर्ता को 1998-99 से प्रभावी वरिष्ठ वेतनमान भी नहीं दिया जाता।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसी प्रकार, जब याचिकाकर्ता को चयन वेतनमान के लिए माना गया था, तो न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की आवश्यकता थी और याचिकाकर्ता को चयन वेतनमान प्रदान करते समय उत्तरदाताओं ने उसे वर्ष 2009-10 से लाभ दिया।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सुपर टाइम स्केल के लिए भी 18 साल की सेवा की आवश्यकता होती है और तदनुसार प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के शामिल होने की तारीख को 06.11.1992 के रूप में ध्यान में रखा, न कि 13.03.2002 के रूप में।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उसकी नियुक्ति के संबंध में उठाया गया विवाद, एकल पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बहुत पहले सुलझा लिया गया था, जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी और केवल वास्तविक भुगतान याचिकाकर्ता को शामिल होने की तारीख से दिया जाना था और अन्य सभी काल्पनिक लाभ दिए जाने थे और तदनुसार समय-समय पर याचिकाकर्ता को लाभ देने के आदेश पारित किए गए थे और केवल उच्च सुपर टाइम स्केल के लिए याचिकाकर्ता के मामले

पर विचार करते समय, प्रतिवादी को यू-टर्न लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल के अनुदान के उद्देश्य से उसके उचित विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बी.एम.संधू ने प्रस्तुत किया कि उच्चतर सुपर टाइम स्केल प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 20.07.2011 की अधिसूचना में आवश्यकता प्रदान की गई है और उम्मीदवार को सुपर टाइम स्केल पद पर काम करना होगा और उच्च सुपर टाइम स्केल पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए सेवा के सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 25 वर्ष की सेवा आवश्यक है।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सुपर टाइम स्केल पद दिया गया है और उसने 25 साल की सेवा भी पूरी कर ली है और इस तरह प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल पद की उसकी पात्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विपरीत विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल नहीं देने में कोई अवैधता नहीं की है, क्योंकि उसने 25 साल की सेवा पूरी नहीं की है, क्योंकि वह वास्तव में 13.03.2002 पर अपनी सेवाओं में शामिल हुई है और तदनुसार सक्षम प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल नहीं देने का निर्णय लिया है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जब भी अपनी 25 साल की सेवा पूरी करेगी, विभाग हमेशा याचिकाकर्ता को उच्च सुपर टाइम स्केल पद देने की आवश्यक कवायद करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन 25 साल की आवश्यक सेवा और याचिकाकर्ता के वास्तविक कामकाज को पूरा किए बिना, उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कुल 25 वर्षों की सेवा के लिए काम करने का वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं किया है और याचिकाकर्ता को दिया गया काल्पनिक लाभ उसे परिलब्धि और अन्य मौद्रिक लाभ देने के उद्देश्य से प्रासंगिक हो सकता है, इसे वास्तविक अनुभव के उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, जो पद के लिए आवश्यक है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को अन्य उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति नहीं दी गई थी, हालांकि, केवल न्यायिक हस्तक्षेप के आधार पर, यदि उसे नियुक्ति दी गई है, तो उसे काल्पनिक लाभ के अलावा कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जो उसे पहले ही दिया जा चुका है।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 20.07.2011 की अधिसूचना में विशेष रूप से

प्रावधान है कि एक व्यक्ति को सुपर टाइम स्केल पोस्ट पर नियुक्त किया जाना है और सेवा के सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी और तभी ऐसा व्यक्ति हायर सुपर टाइम स्केल पोस्ट पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश भी एक छाया/अतिरिक्त पद देकर किया गया था और यदि कोई पद उपलब्ध नहीं था जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता को वर्ष 1992 में ही नियुक्त किया जा सकता था, तो वर्ष 2003 से उसके वास्तविक कामकाज को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

13.03.2002 को उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेश को ध्यान से पढ़ने पर इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 06.11.1992 के आदेश में संशोधन करके नियुक्ति दी गई थी, क्योंकि दिनांक 06.11.1992 के आदेश के तहत विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी, जो योग्यता में कम थे और दिनांक 13.03.2002 के आदेश ने याचिकाकर्ता को श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा से नीचे और श्री आबिद खान से ऊपर रखा और इस तरह उम्मीदवार योग्यता में नीचे थे।

06.11.1992 के मूल नियुक्ति आदेश में आबिद खान को याचिकाकर्ता से नीचे रखा गया था।

इस न्यायालय ने पाया कि एक बार जब याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार उसका उचित स्थान सौंपा गया था और प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 06.11.1992 में संशोधन किया गया था, तो याचिकाकर्ता को सभी उद्देश्यों के लिए वर्ष 1992 में ही नियुक्त किया गया माना जाना आवश्यक है।

इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील में दम नजर आया कि वरिष्ठ वेतनमान, चयन वेतनमान और सुपर टाइम स्केल देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय उत्तरदाताओं ने हमेशा याचिकाकर्ता के शामिल होने के वर्ष को 1992 माना है और उसे कभी भी वर्ष 2002 में शामिल नहीं माना गया था।

उत्तरदाताओं ने अपने आचरण से और समय-समय पर पदोन्नति के आदेश पारित करके, यदि याचिकाकर्ता को 1992 से विधिवत नियुक्त माना है, तो उच्चतर सुपर टाइम स्केल देने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के साथ अलग व्यवहार करना उत्तरदाताओं की ओर से बिल्कुल अनुचित होगा।

इस अदालत ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड और उसकी वरिष्ठता की स्थिति पर हमेशा वरिष्ठ स्केल, चयन स्केल और

सुपर टाइम स्केल में उसकी पदोन्नति देते समय प्रतिवादी द्वारा विचार किया जाता था और उसे हमेशा एक बृजेश कुमार शर्मा से नीचे और आबिद खान से ऊपर रखा जाता था।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि दिनांक 01.08.2018 के आक्षेपित आदेश में, उत्तरदाताओं ने उपरोक्त दो व्यक्तियों को उच्च सुपर टाइम स्केल प्रदान किया है और याचिकाकर्ता को छोड़ दिया गया है और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से यह चूक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगती है।

प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक सेवा प्रदान नहीं की है और उसने 25 वर्षों का वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं किया है, खारिज किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय का मानना है कि यदि याचिकाकर्ता को सभी उद्देश्यों के लिए वर्ष 1992 में नियुक्त माना गया है, तो केवल नियुक्ति के आदेश जारी होने और 13.03.2002 को उसके शामिल होने के आधार पर, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2002 में नियुक्त माना जाना चाहिए।

प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण कि अधिसूचना दिनांक 20.07.2011, याचिकाकर्ता के वास्तविक अनुभव और वास्तविक

कार्य की आवश्यकता है, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का समान प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं किया जाता है।

दिनांक 20.07.2011 की अधिसूचना में शामिल संशोधन को पढ़ने से पता चलता है कि एक व्यक्ति/सेवा के सदस्य को सुपर टाइम स्केल पोस्ट पर होना चाहिए और उसे कुल मिलाकर 25 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए और फिर ऐसा व्यक्ति उच्च सुपर टाइम स्केल पोस्ट पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

वास्तविक अनुभव" या "वास्तविक कामकाज" शब्द को उत्तरदाताओं के इच्छुक वकील ने गलत तरीके से आकर्षित किया है।यह न्यायालय अन्यथा भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक बार जब याचिकाकर्ता को 1992 से वित्तीय लाभों को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए नियुक्त माना जाता है, तो उच्च सुपर टाइम स्केल पद के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते हुए याचिका लेने में एक दिन में बहुत देर हो जाएगी कि उसे वर्ष 2002 में नियुक्त किया गया है।

इस न्यायालय ने पाया कि हालांकि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता का नाम हायर सुपर टाइम स्केल पोस्ट के लिए योग्य उम्मीदवारों में डाला था, हालांकि, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर नोट-शीट के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा निर्णय लिया गया था, उसे पात्र नहीं माना गया था।

प्रतिवादी ने उच्च सुपर टाइम स्केल पद के अनुदान के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को बाहर करने के लिए मनमाने तरीके से गलत निर्णय लिया है।

इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों में दम नजर आया कि उत्तरदाताओं ने पिछले सभी आदेशों को ध्यान में नहीं रखा है, जहां उन्होंने हमेशा पाया है कि याचिकाकर्ता को राजस्थान लेखा सेवाओं में वरिष्ठ वेतनमान, चयन वेतनमान और सुपर टाइम स्केल में उचित वरिष्ठता और नियुक्ति दी गई है।

इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने उचित तरीके से कार्य नहीं किया है और उच्च सुपर टाइम स्केल के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के मामले को गलत तरीके से नजरअंदाज किया है/उस पर विचार नहीं किया है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में भी दम पाया कि दिनांक 01.08.2018 के आदेश में उपरोक्त दो व्यक्तियों यानी ब्रिजेश कुमार शर्मा और आबिद खान का नाम शामिल किया गया है और उन्होंने उच्चतर सुपर टाइम स्केल देने के लिए याचिकाकर्ता के विचार को (नाम को) गलत तरीके से छोड़ दिया है।

यह न्यायालय तदनुसार वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देता है और प्रतिवादी को वर्ष 2018-19 के लिए रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता के अनुसार उच्च सुपर टाइम स्केल के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देता है और यदि याचिकाकर्ता अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे उच्च सुपर टाइम स्केल के पद पर उसकी नियुक्ति से प्राप्त होने वाले सभी लाभ प्रदान किए जा सकते हैं, जिसमें उच्च सुपर टाइम स्केल पर उसकी पदोन्नति के कारण मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, उस तारीख से जब वह इसे प्राप्त करने का हकदार हो जाती है।इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त कार्य किया जाना है।

(न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़)

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।